IndiaCode

प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020

(2020 का अधिनियम संख्यांक 3)

[17 मार्च, 2020]

विवादित कर के समाधान के लिए और उससे संबंधित और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020 है। संक्षिप्त नाम।

2. (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— परिभाषाएं।

'(क) ''अपीलार्थी'' से निम्नलिखित अभिप्रेत है,—

(i) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसके मामले में या तो उसके द्वारा या आय-कर प्राधिकारी द्वारा या दोनों के द्वारा, अपील मंच के समक्ष कोई अपील या कोई रिट याचिका या विशेष अनुमति याचिका फाइल की गई है और ऐसी अपील या याचिका विनिर्दिष्ट तारीख को लंबित है;

(ii) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसके मामले में विनिर्दिष्ट तारीख को या उससे पूर्व निर्धारण अधिकारी द्वारा आदेश पारित किया गया है या आयुक्त (अपील) या आय-कर अपील अधिकरण द्वारा किसी अपील में या उच्च न्यायालय द्वारा किसी रिट याचिका में आदेश पारित किया गया है और उस व्यक्ति द्वारा ऐसे आदेश के विरुद्ध कोई अपील या विशेष अनुमति याचिका फाइल करने के लिए समय उस तारीख को समाप्त नहीं हुआ है;

(iii) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसने आय-कर अधिनियम 1961 की धारा 144ग के अधीन विवाद समाधान पैनल के समक्ष अपने आक्षेप फाइल किए हैं और विवाद समाधान पैनल के विनिर्दिष्ट तारीख को या उससे पूर्व कोई निदेश जारी नहीं किया है; 1961 का 43

(iv) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसके मामले में विवाद समाधान पैनल ने आय-कर अधिनियम की धारा 144ग की उपधारा (5) के अधीन निदेश जारी किया है और निर्धारण अधिकारी ने उस धारा की उपधारा (13) के अधीन विनिर्दिष्ट तारीख को या उससे पूर्व कोई आदेश पारित नहीं किया है;

(v) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसने आय-कर अधिनियम की धारा 264 के अधीन पुनरीक्षण के लिए आवेदन फाइल किया है और ऐसा आवेदन विनिर्दिष्ट तारीख को लंबित है;

(ख) ''अपील मंच'' से उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या आय-कर अपील अधिकरण या आयुक्त (अपील) अभिप्रेत है;

(ग) ''घोषणाकर्ता'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो धारा 4 के अधीन घोषणा फाइल करता है;

(घ) ''घोषणा'' से धारा 4 के अधीन फाइल की गई घोषणा अभिप्रेत है;

(ङ) ''अभिहित प्राधिकारी'' से इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, प्रधान मुख्य आयुक्त द्वारा अधिसूचित आय-कर आयुक्त की पंक्ति से अनिम्न पंक्ति का और कोई अधिकारी अभिप्रेत है;

(च) ''विवादित फीस'' से आय-कर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अधीन अवधारित ऐसी फीस अभिप्रेत है, जिसके संबंध में अपीलार्थी द्वारा अपील फाइल की गई है; 1961 का 43

(छ) किसी निर्धारण वर्ष के संबंध में ''विवादित आय'' से संपूर्ण आय या कुल आय का उतना भाग अभिप्रेत है, जो विवादित कर से संबंधित है;

(ज) ''विवादित ब्याज'' से आय-कर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अधीन किसी दशा में अवधारित ब्याज अभिप्रेत है, जहां,— 1961 का 43

(i) ऐसा ब्याज, विवादित कर पर प्रभारित या प्रभार्य नहीं है;

(ii) ऐसे ब्याज के संबंध में अपीलार्थी द्वारा कोई अपील फाइल की गई है;

(झ) ''विवादित शास्ति'' से आय-कर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अधीन किसी भी मामले में अवधारित शास्ति अभिप्रेत है, जहां,— 1961 का 43

(i) ऐसी शास्ति, यथास्थिति, विवादित आय या विवादित कर के संबंध में उद्गृहीत या उद्ग्रहणीय नहीं है;

(ii) ऐसी शास्ति के संबंध में अपीलार्थी द्वारा कोई अपील फाइल की गई है;

(ञ) यथास्थिति, किसी निर्धारण वर्ष या वित्तीय वर्ष के संबंध में ''विवादित कर'' से ऐसा आय-कर अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत आय-कर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अधीन अपीलार्थी द्वारा संदेय अधिभार और उपकर (जिसे इस खंड में इसके पश्चात् कर की रकम कहा गया है) भी है, जिसे नीचे संगणित किया गया है,— 1961 का 43

(क) उस मामले में, जहां कोई अपील, रिट याचिका या विशेष अनुमति याचिका विनिर्दिष्ट तारीख को अपील मंच के समक्ष लंबित है, वहां कर की ऐसी रकम, जो अपीलार्थी द्वारा तब संदेय

IndiaCode

है, यदि ऐसी अपील या रिट याचिका या विशेष अनुमति याचिका का विनिश्चय उसके विरुद्ध किया जाना था;

(ख) उस मामले में, जहां किसी अपील में या रिट याचिका में आदेश अपील मंच द्वारा विनिर्दिष्ट तारीख को या उससे पूर्व पारित कर दिया गया है और ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील या विशेष अनुमति याचिका फाइल करने के लिए समय उस तारीख को समाप्त नहीं हुआ है, वहां इस प्रकार पारित आदेश को प्रभावी करने के पश्चात्, अपीलार्थी द्वारा संदेय कर की रकम;

(ग) उस मामले में, जहां आदेश निर्धारण अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट तारीख को या उससे पूर्व पारित किया गया है और ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील फाइल करने के लिए समय उस तारीख को समाप्त नहीं हुआ है, वहां ऐसे आदेश के अनुसार अपीलार्थी द्वारा संदेय कर की रकम;

(घ) उस मामले में, जहां अपीलार्थी द्वारा फाइल किया गया आक्षेप आय-कर अधिनियम की धारा 144ग के अधीन विवाद समाधान पैनल के समक्ष विनिर्दिष्ट तारीख को लंबित हैं, वहां अपीलार्थी द्वारा संदेय कर की रकम, यदि विवाद समाधान पैनल को प्रारूप आदेश में प्रस्तावित फेरफार की पुष्टि करनी थी;

(ङ) उस मामले में, जहां विवाद समाधान पैनल ने आय-कर अधिनियम की धारा 144ग की उपधारा (5) के अधीन कोई निदेश जारी किया है और निर्धारण अधिकारी ने विनिर्दिष्ट तारीख को या उससे पूर्व उस धारा की उपधारा (13) के अधीन आदेश पारित नहीं किया है, वहां उस धारा की उपधारा (13)के अधीन निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित किए जाने वाले निर्धारण आदेश के अनुसार अपीलार्थी द्वारा संदेय कर की रकम;

(च) उस मामले में, जहां आय-कर अधिनियम की धारा 264 के अधीन पुनरीक्षण के लिए आवेदन विनिर्दिष्ट तारीख को लंबित है, वहां अपीलार्थी द्वारा संदेय कर की रकम, यदि पुनरीक्षण के लिए ऐसा आवेदन स्वीकार नहीं किया जाना था:

परंतु उस मामले में, जहां आयुक्त (अपील) ने आय-कर अधिनियम की धारा 251 के अधीन विनिर्दिष्ट तारीख को या उससे पूर्व वृद्धि की सूचना जारी की है, वहां विवादित कर में, उन मुद्दों, जिनके लिए वृद्धि की सूचना जारी की गई है, से संबंधित कर की रकम बढ़ जाएगी:

परंतु यह और कि ऐसे मामले में, जहां किसी निर्धारण वर्ष के संबंध में विवाद, आय-कर अधिनियम की धारा 115ञकक या धारा 115घ के अधीन कर प्रत्यय की कटौती या तद्धीन संगणित किसी हानि या अवक्षयण से संबंधित है, वहां अपीलार्थी के पास ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, ऐसे कर प्रत्यय या हानि या अवक्षयण को विवादित कर की रकम में सम्मिलित करने का या ऐसे घटाए गए कर प्रत्यय या हानि या अवक्षयण को अग्रनीत करने का विकल्प होगा;

1961 का 43

(ट) ''आय-कर अधिनियम'' से आय-कर अधिनियम, 1961 अभिप्रेत है;

(ठ) ''अंतिम तारीख'' से ऐसी तारीख अभिप्रेत है, जो केंद्रीय सरकार द्वारा, राजपत्र में, अधिसूचित की जाए;

(ड) ''विहित'' से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ढ) ''विनिर्दिष्ट तारीख'' से 31 जनवरी, 2020 अभिप्रेत है;

(ण) ''कर बकाया'' से आय-कर अधिनियम के उपबंधों के अधीन यथा अवधारित निम्नलिखित अभिप्रेत है—

(i) विवादित कर, ऐसे विवादित कर पर प्रभार्य या प्रभारित ब्याज और ऐसे विवादित कर पर उद्ग्रहणीय या उद्गृहीत शास्ति की कुल रकम; या

(ii) विवादित ब्याज; या

(iii) विवादित शास्ति; या

(iv) विवादित फीस।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किंतु आय-कर अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो क्रमशः उनके उस अधिनियम में हैं।

घोषणाकर्ता द्वारा संदेय रकम।

3. इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जहां कोई घोषणाकर्ता, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन अन्तिम तारीख को या उससे पूर्व अभिहित प्राधिकारी के पास धारा 4 के उपबंधों के अनुसार कर बकाया के संबंध में कोई घोषणा फाइल करता है, वहां आय-कर अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, घोषणाकर्ता द्वारा इस अधिनियम के अधीन संदेय रकम निम्नानुसार होगी, अर्थात्:—

क्र॰ सं॰	कर बकाया की प्रकृति	31 मार्च, 2020 को या उससे पहले इस अधिनियम के अधीन संदेय रकम	1 अप्रैल, 2020 को या उसके पश्चात्, किंतु अंतिम तारीख को या उससे पहले इस अधिनियम के अधीन संदेय रकम
(क)	जहां कर बकाया, विवादित कर, ऐसे विवादित कर पर प्रभार्य या प्रभारित ब्याज और ऐसे विवादित कर पर उद्ग्रहणीय या उद्गृहीत शास्ति की कुल रकम है।	विवादित कर की रकम।	विवादित कर की रकम या योग और विवादित कर का दस प्रतिशत: परंतु जहां विवादित कर का दस प्रतिशत, ऐसे विवादित कर पर प्रभार्य या प्रभारित ब्याज और ऐसे विवादित कर पर उद्ग्रहणीय या उद्गृहीत शास्ति की कुल रकम के योग से अधिक है, वहां इस अधिनियम के अधीन संदेय रकम की संगणना के प्रयोजन के लिए ऐसे आधिक्य पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।
(ख)	जहां कर बकाया में आय-कर अधिनियम की धारा 132 या धारा 132क के अधीन तलाशी के आधार पर किसी निर्धारण में अवधारित कर, ब्याज या शास्ति भी सम्मिलित है।	विवादित कर की रकम का योग और विवादित कर का पच्चीस प्रतिशत: परंतु जहां विवादित कर का पच्चीस प्रतिशत ऐसे विवादित कर पर प्रभार्य या प्रभारित ब्याज की और ऐसे विवादित कर पर उद्ग्रहणीय या उद्ग्रहीत शास्ति की रकम के योग से अधिक है, वहां इस अधिनियम के अधीन संदेय रकम की संगणना के प्रयोजन के लिए ऐसे आधिक्य पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।	विवादित कर की रकम का योग और विवादित कर का पैंतीस प्रतिशत: परंतु जहां विवादित कर का पैंतीस प्रतिशत ऐसे विवादित कर पर प्रभार्य या प्रभारित ब्याज की और ऐसे विवादित कर पर उद्ग्रहणीय या उद्ग्रहीत शास्ति की रकम के योग से अधिक है, वहां संदेय रकम की संगणना के प्रयोजन के लिए ऐसे आधिक्य पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।
(ग)	जहां कर बकाया का संबंध विवादित ब्याज या विवादित शास्ति या विवादित फीस से है।	विवादित ब्याज या विवादित शास्ति या विवादित फीस का पच्चीस प्रतिशत।	विवादित ब्याज या विवादित शास्ति या विवादित फीस का तीस प्रतिशत।

IndiaCode

परंतु उस मामले में, जहां आय-कर प्राधिकारी द्वारा किसी मुद्दे पर अपील मंच के समक्ष कोई अपील या रिट याचिका या विशेष अनुमति याचिका फाइल की जाती है वहां संदेय रकम, ऐसे मुद्दे पर ऊपर सारणी में, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, संगणित रकम का आधा होगी:

परंतु यह और कि उस मामले में, जहां अपील, आयुक्त (अपील) के समक्ष फाइल की जाती है या अपीलार्थी द्वारा किसी ऐसे मुद्दे पर विवाद समाधान पैनल के समक्ष आक्षेप फाइल किया जाता है, जिस पर उसने आय-कर अपील अधिकरण से अपने पक्ष में विनिश्चय पहले ही प्राप्त कर लिया है, (जहां ऐसे मुद्दे पर विनिश्चय का उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा उलट नहीं दिया जाता है) या उच्च न्यायालय (जहां ऐसे मुद्दे पर विनिश्चय का उच्चतम न्यायालय द्वारा उलट नहीं दिया जाता है) वहां संदेय रकम, ऐसे मुद्दे पर ऊपर सारणी में, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, संगणित रकम का आधा होगी:

परंतु यह भी कि उस मामले में, जहां अपील किसी ऐसे मुद्दे पर,अपीलार्थी द्वारा आय-कर अपील अधिकरण के समक्ष फाइल की जाती है, जिस पर उसने उच्च न्यायालय से अपने पक्ष में विनिश्चय पहले ही प्राप्त कर लिया है (जहां ऐसे मुद्दे पर विनिश्चय को उच्चतम न्यायालय द्वारा उलट नहीं दिया जाता है) वहां संदेय रकम, ऐसे मुद्दे पर ऊपर सारणी में, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, संगणित रकम का आधा होगी।

घोषणा फाइल करना और विशिष्टियों का दिया जाना।

4. (1) घोषणाकर्ता द्वारा धारा 3 में निर्दिष्ट घोषणा, अभिहित प्राधिकारी के समक्ष, ऐसे प्ररूप में फाइल की जाएगी और ऐसी रीति में सत्यापित की जाएगी, जो विहित की जाए।

(2) घोषणा फाइल किए जाने पर, विवादित आय या विवादित ब्याज या विवादित शास्ति या विवादित फीस और कर बकाया के संबंध में आय-कर अपील अधिकरण या आयुक्त (अपील) के समक्ष लंबित कोई अपील, उस तारीख से, जिसको धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन अभिहित प्राधिकारी द्वारा प्रमाणपत्र जारी किया गया है, वापस ले ली गई समझी जाएगी।

(3) जहां घोषणाकर्ता ने कर बकाया के संबंध में किसी आदेश के विरुद्ध अपील मंच के समक्ष कोई अपील या उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के समक्ष कोई रिट याचिका फाइल की है, वहां वह न्यायालय की अनुमति से, धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन प्रमाणपत्र जारी करने के पश्चात् जहां कहीं अपेक्षित हो, ऐसी अपील या रिट याचिका को वापस ले लेगा और धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन अभिहित प्राधिकारी को संदाय की सूचना के साथ ऐसी वापसी का प्रमाण प्रस्तुत करेगा।

(4) जहां घोषणाकर्ता ने माध्यस्थम्, सुलह या मध्यकता के लिए कोई कार्यवाही आरंभ की है या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन या भारत द्वारा किसी अन्य देश या भारत के बाहर राज्यक्षेत्र के साथ किए गए किसी करार के अधीन, चाहे विनिधान के संरक्षण के लिए हो अन्यथा, कोई सूचना दी है, वहां वह धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन प्रमाणपत्र जारी करने के पश्चात् ऐसी कार्यवाहियों में किसी दावे, यदि कोई हो या सूचना को वापस लेगा और धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन अभिहित प्राधिकारी को संदाय की सूचना के साथ ऐसी वापसी का प्रमाण प्रस्तुत करेगा।

(5) उपधारा (2), उपधारा (3) और उपधारा (4) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, घोषणाकर्ता, ऐसे कर बकाया के संबंध में, जो कानून के अधीन या भारत सरकार द्वारा भारत के बाहर किसी देश या किसी राज्यक्षेत्र के साथ किए गए किसी करार, चाहे विनिधान के संरक्षण के लिए हो या अन्यथा, के अधीन उपचार या किसी दावे की ईप्सा या उसे अग्रसर करने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने अधिकार को त्याग देगा और वचनबंध, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में दिया जाएगा, जो विहित की जाए।

(6) यह उपधारणा की जाएगी कि उपधारा (1) के अधीन घोषणा कभी नहीं की गई है, यदि,—

(क) घोषणा में दी गई कोई तात्त्विक विशिष्टि किसी प्रक्रम पर गलत पाई जाती है;

(ख) घोषणाकर्ता इस अधिनियम में निर्दिष्ट शर्तों में से किसी शर्त का अतिक्रमण करता है;

(ग) घोषणाकर्ता ऐसी रीति में कार्य करता है, जो उपधारा (5) के अधीन उसके द्वारा दिए गए वचनबंध के अनुसार नहीं है,

और ऐसे मामलों में, आय-कर अधिनियम के अधीन उन सभी कार्यवाहियों और दावों को, जिन्हें धारा 4 के अधीन वापस ले लिया गया था, तथा घोषणाकर्ता के विरुद्ध सभी परिणामों को, पुन: प्रवर्तित किया गया समझा जाएगा।

(7) कोई भी अपील मंच या माध्यस्थ, सुलहकार या मध्यक घोषणा में उल्लिखित किसी कर बकाया से संबंधित और जिसके संबंध में धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन अभिहित प्राधिकारी द्वारा कोई आदेश किया गया है या उस धारा के अधीन अवधारित राशि के संदाय से संबंधित किसी विवाद्यक को विनिश्चित करने की कार्यवाही नहीं करेगा।

संदाय का समय और रीति।

5. (1) अभिहित प्राधिकारी, घोषणा की प्राप्ति की तारीख से पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर, आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार घोषणाकर्ता द्वारा संदेय रकम को अवधारित करेगा और घोषणाकर्ता को ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाए, एक प्रमाणपत्र, कर बकाया की विशिष्टियों को और उसमें ऐसे अवधारण के पश्चात्, संदेय राशि को उसमें उपवर्णित करते हुए अनुदत्त करेगा।

(2) घोषणाकर्ता, अभिहित प्राधिकारी को, प्रमाणपत्र की प्राप्ति की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर, उपधारा (1) के अधीन अवधारित रकम का संदाय करेगा और उसे ऐसे संदाय के ब्यौरे, विहित प्ररूप में सूचित करेगा तथा तत्पश्चात् अभिहित प्राधिकारी एक आदेश यह कथन करते हुए पारित करेगा कि घोषणाकर्ता ने रकम का संदाय कर दिया है।

(3) इस अधिनियम के अधीन संदेय रकम को अवधारित करते हुए, उपधारा (1) के अधीन पारित प्रत्येक आदेश, उसमें कथित विषयों के संबंध में निश्चायक होगा और ऐसे आदेश के अंतर्गत आने वाले किसी विषय पर आय-कर अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन भारत द्वारा किसी अन्य देश के साथ या भारत से बाहर किसी राज्यक्षेत्र के साथ किए गए करार के अधीन, कोई कार्यवाही चाहे विनिधान के संरक्षण के लिए हो या अन्यथा पुनः आरंभ नहीं की जाएगी।

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि इस अधिनियम के अधीन घोषणा करना, कर स्थिति को स्वीकार करने की कोटि में नहीं आएगा और यह ऐसे आय-कर प्राधिकारी या घोषणाकर्ता, जो प्रतिवाद करने के लिए अपील या रिट याचिका या विशेष अनुमति याचिका में पक्षकार है, के लिए विधिपूर्ण नहीं होगा कि, यथास्थिति, घोषणाकर्ता या आय-कर प्राधिकारी ने विवाद को निपटाकर विवादित मुद्दे पर हुए विनिश्चय में अपनी मौन स्वीकृति दे दी है।

कतिपय मामलों में अपराध संबंधी कार्यवाहियां आरंभ करने और शास्ति अधिरोपित करने से उन्मुक्ति।

6. अभिहित प्राधिकारी, धारा 5 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कर बकाया के संबंध में, आय-कर अधिनियम के अधीन किसी अपराध के संबंध में काई कार्यवाही संस्थित नहीं करेगा; या कोई शास्ति अधिरोपित या उद्गृहीत नहीं करेगा; या कोई ब्याज प्रभारित नहीं करेगा।

संदत्त रकम का कोई प्रतिदाय न होना।

7. धारा 4 के अधीन की गई घोषणा के अनुसरण में संदत्त किसी रकम का किसी भी परिस्थिति में प्रतिदाय नहीं किया जाएगा।

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि जहां घोषणाकर्ता ने धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन घोषणा फाइल करने से पूर्व, आय-कर अधिनियम के अधीन किसी ऐसी रकम का संदाय किया था, जिसके संबंध में कर बकाया धारा 3 के अधीन संदेय रकम से अधिक है, वहां वह ऐसी अधिक रकम के प्रतिदाय के लिए हकदार होगा, किंतु वह आय-कर अधिनियम की धारा 244क के अधीन ऐसी अधिक रकम पर ब्याज के लिए हकदार नहीं होगा।

घोषणाकर्ता को कोई फायदा, छूट या उन्मुक्ति न देना।

8. धारा 5 की उपधारा (3) या धारा 6 में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम की किसी बात का अर्थ घोषणाकर्ता के संबंध में की जाने वाली कार्यवाहियों से भिन्न किन्हीं कार्यवाहियों में घोषणाकर्ता को कोई फायदा, छूट या उन्मुक्ति प्रदान करने के रूप में नहीं लगाया जाएगा।

कतिपय मामलों में अधिनियम का लागू न होना।

9. इस अधिनियम के उपबंध,—

(क) किसी कर बकाया के संबंध में,—

(i) किसी निर्धारण वर्ष के संबंध में जिसकी बाबत आय-कर अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (3) या धारा 144 या धारा 153क या धारा 153ग के अधीन निर्धारण आय-कर

अधिनियम की धारा 132 या धारा 132क के अधीन आरंभ की गई तलाशी के आधार पर कर दिया गया है, यदि विवादित कर की रकम पांच करोड़ रुपए से अधिक है, के संबंध में लागू नहीं होंगे;

(ii) किसी निर्धारण वर्ष के संबंध में, जिसकी बाबत घोषणा फाइल करने की तारीख को या उससे पूर्व कोई अभियोजन संस्थित कर दिया गया है, लागू नहीं होंगे;

(iii) भारत से बाहर अवस्थित किसी स्रोत से अप्रकटित किसी आय या भारत से बाहर अवस्थित अप्रकटित आस्ति से किसी आय के संबंध में लागू नहीं होंगे;

(iv) आय-कर अधिनियम की धारा 90 या धारा 90क में निर्दिष्ट किसी करार, यदि वह किसी कर बकाया से संबंधित है, के अधीन प्राप्त सूचना के आधार पर किए गए किसी निर्धारण या पुन:निर्धारण के संबंध में लागू नहीं होंगे;

(ख) घोषणा फाइल करने पर या उसके पूर्व किसी ऐसे व्यक्ति के संबंध में, जिस पर विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 के उपबंधों के अधीन निरोध आदेश किया गया है, लागू नहीं होंगे: 1974 का 52

परंतु,—

(i) निरोध का ऐसा आदेश, जो ऐसा कोई आदेश है, जिसको उक्त अधिनियम की धारा 9 या धारा 12क के उपबंध लागू नहीं होते हैं, जिसको उक्त अधिनियम की धारा 8 के अधीन सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट पर या सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट की प्राप्ति से पूर्व प्रतिसंहृत नहीं किया गया है; या

(ii) निरोध का ऐसा आदेश, जो ऐसा कोई आदेश है, जिसको उक्त अधिनियम की धारा 9 के उपबंध लागू होते हैं, को उसके लिए अवधि के अवसान से पूर्व या धारा 9 की उपधारा (3) के अधीन पुनर्विलोकन के लिए या उसके आधार पर या उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 8 के अधीन सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट पर प्रतिसंहृयत नहीं किया गया है; या

(iii) निरोध का ऐसा आदेश, जो ऐसा कोई आदेश है, जिसको उक्त अधिनियम की धारा 12क के उपबंध लागू होते हैं, को उस धारा की उपधारा (3) के अधीन पहले पुनर्विलोकन के लिए, अवधि के अवसान से पूर्व या उसके आधार पर या उक्त अधिनियम की धारा 12क की उपधारा (6) के साथ पठित धारा 8 के अधीन सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर प्रतिसंहृयत नहीं किया गया है; या

(iv) निरोध के ऐसे आदेश को सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा अपास्त नहीं किया गया है;

(ग) किसी ऐसे व्यक्ति, जिसके संबंध में विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967, स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988, धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002, बेनामी संपति संव्यवहार प्रतिषेध अधिनियम, 1988 के उपबंधों के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए अभियोजन घोषणा फाइल करने पर या उससे पूर्व संस्थित कर दिया गया है या ऐसे व्यक्ति को किसी ऐसे किसी दंडनीय अपराध के लिए, इन अधिनियमों में से किसी अधिनियम के अधीन सिद्धदोष ठहराया गया है, के संबंध में लागू नहीं होंगे; 1967 का 37, 1985 का 61, 1988 का 49, 2003 का 15, 1988 का 45

(घ) किसी ऐसे व्यक्ति, जिसके संबंध में भारतीय दंड संहिता के उपबंधों के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए या घोषणा फाइल करने पर या उसके पूर्व तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी सिविल दायित्व के प्रवर्तन के प्रयोजन के प्रयोजन के लिए, आय-कर प्राधिकारी द्वारा अभियोजन आरंभ कर दिया गया है या ऐसा व्यक्ति, आय-कर प्राधिकारी द्वारा आरंभ किए गए अभियोजन के परिणामस्वरूप किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, के संबंध में लागू नहीं होंगे; 1860 का 45

(ङ) घोषणा फाइल करने पर या उससे पूर्व विशेष न्यायालय (प्रतिभूति संव्यवहार अपराध विचारण) अधिनियम, 1992 की धारा 3 के अधीन अधिसूचित किसी व्यक्ति के संबंध में लागू नहीं होंगे। 1992 का 27

IndiaCode

बोर्ड की निदेश, आदि जारी करने की शक्ति।

10. (1) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर प्राधिकारियों को, समय-समय पर ऐसे निदेश या आदेश जारी कर सकेगा, जो वह ठीक समझे:

परंतु ऐसा कोई निदेश या आदेश जारी नहीं किया जाएगा, जो किसी अभिहित प्राधिकारी से किसी विशिष्ट मामले का किसी विशिष्ट रीति में निपटान करने की अपेक्षा करे।

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उक्त बोर्ड, यदि इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए, जिसके अंतर्गत राजस्व का संग्रहण भी है, ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझता है, तो समय-समय पर, मामलों के किसी वर्ग के संबंध में इस अधिनियम से संबंधित किसी कार्य के लिए, जिसके अंतर्गत राजस्व का संग्रहण भी है, प्राधिकारियों द्वारा अनुसरण किए जाने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों, सिद्धांतों या प्रक्रियाओं के संबंध में निदेश या अनुदेश उपवर्णित करते हुए, साधारण या विशेष आदेश जारी कर सकेगा और ऐसे आदेश जारी करेगा, यदि बोर्ड का यह मत हो कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।

11. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्दीय सरकार, ऐसे आदेश द्वारा, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, उस कठिनाई को दूर कर सकेगी:

परंतु ऐसा कोई आदेश, ऐसी तारीख से, जिसको इस अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त होते हैं, दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

नियम बनाने की शक्ति।

12. (1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी।

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों का उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्:—

(क) धारा 4 के अधीन वह प्ररूप, जिसमें कोई घोषणा की जा सकेगी और वह रीति, जिसमें ऐसी घोषणा का सत्यापन किया जा सकेगा;

(ख) धारा 4 की उपधारा (5) के अधीन वह प्ररूप और रीति, जिसमें घोषणाकर्ता वचनबध देगा;

(ग) धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन वह प्ररूप, जिसमें प्रमाणपत्र अनुदत्त किया जाएगा;

(घ) धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन वह प्ररूप, जिसमें संदाय की सूचना दी जाएगी;

(ङ) विवादित कर के अवधारण, जिसके अंतर्गत आय-कर अधिनियम की धारा 115ञकक या धारा 115ञघ के अधीन कर प्रत्यय को आगे ले जाने या अग्रनीत किए जाने के संबंध में मुजरा या आय-कर अधिनियम के उपबंधों के अधीन हानि या अवक्षयण की मोक को आगे ले जाने या अग्रनीत किए जाने के संबंध में मुजरा की रीति भी है;

(च) इस अधिनियम के अधीन संदेय रकम की संगणना करने की रीति;

(छ) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाना है या विहित किया जाए या जिसके संबंध में नियमों द्वारा उपबंध किए जाने हैं।

(3) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन के अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के, या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं, तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभावी हो जाएगा किंतु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभावी होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

———————

IndiaCode